न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 46/2021 तारीखरजू:– 5/7/2021

उनवानः– हंसराम बनाम भरतबाई वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
5/7/21	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए सायलान व गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 6240/0.38 है0 ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी 13.7.2021 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 13.07.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	5271–76 5/7/2021
13.7.21	प्रार्थी वकील उप0/अप्रार्थी नं. 1 से 5 की ओर से ~~श्री [illegible]~~ मदन मोहन शर्मा Adv. ने उपस्थिति दर्ज की। अप्रार्थी नं. 6 का लिफाफा वापिस प्राप्त हुआ है। वकालतनामा, जवाब पेश करने तक स्थगन आदेश बढ़ाया जाता है। अप्रार्थी नं. 6 की तामील कराने। 1 से 5 का वकालतनामा व जवाब पेश करने दिनांक 22.7.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	[illegible] 1 to 5 की ओर से (हस्ताक्षर) 13.7.21

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौ

2021/40 - हंसराम V/S भरत वाई 4/6/2021

फर्द अहकाम

दिनांक	
22.7.21	वकुलाप उप०। पत्रावली गतानुसार दिनांक 13.8.21 को पेश हो
13-8-21	पक्षी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ...जयपुर प्रवास पर... पत्रावली गतानुसार दिनांक ...17-8-21... को पेश हो।
17-8-21 Not Press	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी वकील ने मुकदमा आगे नहीं चलाने का कथन कर Not-Press कर खारिज करने का कथन किया। प्रार्थी वकील द्वारा मुकदमा Not-Press किये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली